बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा)
BIHAR REVENUE SERVICE ASSOCIATION (BiRSA)
(Reg. No.- S000018/2020-21)
Road No.-1, Sarvodaya Nagar, Near East Gola Road, Patna

Vice President
Mr. Sudhir Onkara
Mrs. Dolly Kumari
Mr. Ravi Kant
Joint Secretary
Mr. Rahul Shankar
Treasurer
Mr. Rajat Barnwal
Media Incharge
Mr. Ayush Chandra
Coordinator
Mr. Mohit Kumar
Policy Strategist
Mr. Pushkal Kumar
Program Director
Dr. Harsha Komal

Shri Anand Kumar
(President)
Mobile : 98910 86214

Mr. Saurabh Kumar
(General Secretary)
Mobile : 9958541671

Ref. :BiRSA/25/12/05 Date : 24/12/2025

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
बिहार सरकार, पटना।

विषय : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक मंचों एवं मीडिया में की जा रही अमर्यादित बयानबाज़ी, "ऑन द स्पॉट" दंडात्मक टिप्पणियों, तथा विभागीय गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले कृत्यों के विरोध में संघ का औपचारिक प्रतिवेदन।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा) की ओर से यह पत्र अत्यंत पीड़ा, चिंता एवं उत्तरदायित्वबोध के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। विगत कुछ समय से माननीय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री द्वारा सार्वजनिक मंचों, मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार की बयानबाज़ी की जा रही है, उसने न केवल राजस्व प्रशासन की गरिमा को गहरा आघात पहुँचाया है, बल्कि एक संपूर्ण सेवा संवर्ग को **जानबूझकर सार्वजनिक उपहास एवं उन्माद का विषय** बना दिया है।

महोदय, आज जो दृश्य मीडिया एवं सोशल मीडिया में लगातार प्रसारित हो रहे हैं, उनमें यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि **लोकप्रियता एवं तात्कालिक तालियों** की अपेक्षा में प्रशासनिक मर्यादाओं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत, संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 की भावना के प्रतिकूल, संवैधानिक प्रक्रियाओं तथा सेवा नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। "खड़े-खड़े सस्पेंड कर देंगे", "यहीं जनता के सामने जवाब दो", "स्पष्टीकरण लो और तुरंत कार्रवाई करो" "ऑन द स्पॉट फैसला होगा" जैसे संवाद किसी संवैधानिक लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। यह भाषा न तो प्रशासनिक विवेक का परिचायक है और न ही विधि के शासन (Rule of Law) की।

राजस्व विभाग की वर्तमान "जन संवाद" "फील्ड ट्रायल" "इमहेड कोर्ट मार्शल", या "मॉब जस्टिस" की भाषा लोकतांत्रिक प्रशासन की नहीं, बल्कि **तमाशाई शासन शैली** की प्रतीक है। यह भी खेदजनक है कि सार्वजनिक बैठकों के दौरान वर्तमान मंत्री अक्सर यह भूल जाते हैं कि पिछले लगभग दो दशकों में अधिकांश समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ही सरकार रही है, और अपने वक्तव्यों में पूर्ववर्ती मंत्रियों एवं विभागीय प्रमुखों के योगदान को नकारते हुए ऐसा आभास कराते हैं मानो पूर्व की सभी मंत्री एवं विभागीय नेतृत्व पूर्णतः निष्क्रिय रहे हों और विभाग में किसी प्रकार का सुधार हुआ ही नहीं हो, जैसे विगत सौ वर्षों का संपूर्ण प्रशासनिक बोझ अचानक उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा हो।

सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि इस पूरे तमाशे में विभाग के कुछ वरीय अधिकारी भी सहभागी प्रतीत होते हैं, जिससे यह संदेश जाता है कि **संस्थागत संरक्षण के स्थान पर व्यक्तिगत लोकप्रियता को प्राथमिकता** दी जा रही है। यह प्रवृत्ति औपनिवेशिक मानसिकता की याद दिलाती है, जहाँ अधिकारी संवाद से बचते हैं, परंतु दंड के प्रदर्शन में रुचि रखते हैं।

महोदय, हम विनम्रतापूर्वक यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार की "जन अदालत" थाना अध्यक्षों, पुलिस अधीक्षकों, अभियंताओं, स्वास्थ्य अधिकारियों अथवा स्वयं जनप्रतिनिधियों के साथ भी आयोजित की जा सकती है? अन्य अधिकारियों से भी सड़क, नाली, अस्पताल, विद्यालय पर जनता ऐसे ही सवाल करेगी? क्या स्वयं मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों से भी बजट, योजना एवं नीति विफलताओं पर इसी प्रकार सार्वजनिक पूछताछ होगी? यदि नहीं, तो केवल राजस्व अधिकारियों को ही इस सार्वजनिक अपमान का पात्र क्यों बनाया जा रहा है? इतिहास साक्षी है कि **ऑन-द-स्पॉट न्याय** की संस्कृति लोकतंत्र की नहीं, बल्कि तानाशाही प्रवृत्तियों की पहचान रही है। कभी

Note :

माओवादी "जन पंचायतों" में, कभी तालिबानी सार्वजनिक अदालतों में, कभी अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाओं में। भारत का संविधान ऐसी किसी भी प्रक्रिया को मान्यता नहीं देता।

यह अत्यंत आवश्यक है कि यह तथ्य रिकॉर्ड पर लाया जाए कि **राजस्व प्रशासन राज्य का सबसे अधिक निगरानी-ग्रस्त विभाग है।** वर्तमान में राजस्व अधिकारियों की निगरानी निम्नलिखित माध्यमों से होती है : अंचल अधिकारी → DCLR → SDM → ADM → DM, विभागीय प्रधान सचिव एवं आईटी आधारित मॉनिटरिंग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पोर्टल, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 (PGRO / Appellate Authority), टोल-फ्री हेल्पलाइन एवं जन शिकायत पोर्टल, RTI अधिनियम, 2005, अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, सिविल कोर्ट / राजस्व न्यायालय, उच्च न्यायालय, मीडिया एवं सोशल मीडिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, इतनी बहु-स्तरीय निगरानी के बावजूद यह कहना कि "राजस्व प्रशासन बेलगाम है" — **न तो तथ्यात्मक है, न ही ईमानदार।**

महोदय, यह भी सर्वविदित है कि बिहार में भूमि सुधार की समस्या कोई नई नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात परमानेंट सेटलमेंट की समाप्ति, भूमि सुधार कानून, भूदान आंदोलन, सीलिंग एक्ट, 1972 का रिविजनल सर्वे, 2012 का नया सर्वे कानून, 80 के दशक का अतिक्रमण हटाओ अभियान जैसे अनेक प्रयास हुए, परंतु **राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं संरचनात्मक सुधारों के अभाव** में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। भूमि सुधार की विफलता ने बिहार में जातीय असंतोष, नक्सलवाद, रणवीर सेना-माओवादी संघर्ष, सनलाइट सेना, भूमि सेना, लोरिक सेना का उदय, बाथे, बथानी टोला, बेलछी जैसे नरसंहार की पृष्ठभूमि तैयार की।

आज यदि भूमि विवाद, सरकारी भूमि का संकट, एवं सर्वे संबंधी विसंगतियाँ मौजूद हैं, तो इसके लिए केवल वर्तमान अंचल अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराना न तो तथ्यसंगत है और न ही न्यायोचित। 1907- 1917 के कैडस्ट्रल खतियान/मैप के अलावा सभी राजस्व रिकॉर्ड की अपूर्णता, रजिस्टर-II की ऐतिहासिक त्रुटियाँ, 1917 के खतियान की हिंदी प्रतिलिपि अनुपलब्धता, सर्वे एवं रिकॉन्सिलिएशन की विफलता यह सब **संस्थागत असफलताएँ** हैं, व्यक्तिगत नहीं।

महोदय, आज स्थिति यह हो गई है कि आम जनता के बीच स्वयं को "अंचल अधिकारी" कहना भी अपमानजनक अनुभव बन गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि यह भी तथ्य है कि **वर्तमान अंचल अधिकारियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अभूतपूर्व सुधार किए हैं** : डिजिटलीकरण एवं ऑनलाइन म्यूटेशन, डिस्प्यूटलेस म्यूटेशन अभियान, सफल राजस्व महा-अभियान, आपदा के समय 24×7 सेवा, जनता में अवेयरनेस, कैंप आधारित समाधान, यदि 100 में से 90 कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित किए गए हैं, तो उन पर कोई चर्चा नहीं होती। केवल शेष 10% **सबसे कठिन, जटिल, रैयती, पारिवारिक बटवारा विवाद, भू माफियाओं के कारनामों और ऐतिहासिक रूप से उलझे मामलों** को चुनकर पूरे संवर्ग को बदनाम किया जाता है।

अंचल अधिकारी — • राजस्व प्रशासन, •आपदा प्रबंधन, • RTPs, • निर्वाचन कार्य, • कानून-व्यवस्था में दायित्व, • PDR Act के अंतर्गत प्रमाणपत्र पदाधिकारी, • भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण, • कृषि डाटा कलेक्शन एवं जनहित से जुड़े कार्य जैसे अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन सीमित संसाधनों, बिना पुलिस सहयोग, बिना उचित वाहन, बिना आवास, जर्जर कार्यालय भवन, लगातार मारपीट की घटनाएँ के साथ , बिना स्किल्ड स्टाफ के कर रहे हैं। इसके बावजूद अपेक्षा की जाती है कि अंचल अधिकारी **सुपरह्यूमन प्रदर्शन** करें।

महोदय, लगातार सार्वजनिक अपमान से न केवल अधिकारियों का मनोबल टूटेगा, बल्कि प्रशासन की प्रभावशीलता भी समाप्त हो जाएगी। यह स्थिति अंततः **राज्य सरकार एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था** के लिए घातक सिद्ध होगी।

अतः संघ, अत्यंत सम्मानपूर्वक, निम्नलिखित माँगें करता है :

1. राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक मंचों पर अमर्यादित एवं दंडात्मक बयानबाज़ी तत्काल बंद की जाए।
2. विभागीय निगरानी केवल स्थापित विधिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाए।
3. संवाद के लिए प्रधान सचिव महोदय /विभागीय मंत्री महोदय स्तर पर नियमित एवं सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. यदि "जन संवाद" मॉडल लागू करना है तो यह सभी विभागों एवं जनप्रतिनिधियों पर समान रूप से लागू हो।
5. राजस्व विभाग की ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक समस्याओं पर गंभीर नीति-स्तरीय विमर्श किया जाए।

महोदय, यदि उपर्युक्त परिस्थितियों में शीघ्र सुधार नहीं किया गया, तो संघ विवश होकर इस प्रकार के आयोजनों एवं गतिविधियों का **सामूहिक बहिष्कार** करने पर विचार करेगा। हमें विश्वास है कि भवदीय तथ्यों, इतिहास एवं संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हस्तक्षेप करेंगे तथा उक्त के सन्दर्भ में भेंट वार्ता हेतु बहुमूल्य समय प्रदान करेंगे।

विश्वासभाजन,
24/12/25
सौरभ कुमार
महासचिव, बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा)

विश्वासभाजन,
24/12/25
आनन्द कुमार
अध्यक्ष, बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा)

ज्ञापांक.....BiRSA/25/12/05.....**दिनांक**.....24/12/2025.....

प्रतिलिपि :-

1. माननीय प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
2. माननीय मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
3. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
4. समस्त समाहर्ता, बिहार को सादर सूचनार्थ समर्पित।
5. संघ के समस्त प्रांतीय/ जिला इकाई पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/12/25
सौरभ कुमार
महासचिव, बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा)

24/12/25
आनन्द कुमार
अध्यक्ष, बिहार राजस्व सेवा संघ (बिरसा)